

FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : जिला कलेक्टर, पाली
बनाम

प्रार्थिया

1. कुकी पत्नी सुखदेव
2. सत्यनारायण पुत्र सुखदेव तमाम जातिगण
ब्राह्मण निवासीगण रूपावास तहसील व
जिला पाली

अप्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार
भुमिधारी पाली

किस्म मुकदमा :: रेस्टोर प्रार्थना पत्र . 10 / 2024
(जीसीएमएस क्रमांक -2024/ 60)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.04.2024	<p>प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह रेस्टोर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 29/2021 बअनवान कुकी वगैरा बनाम राज्य सरकार मे पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 को अपास्त कर प्रकरण पुनः रेस्टोर कराने का निवेदन किया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.05.24 को पेश हो।</p>	
08.05.24	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	
15.05.24	<p>पी.जे. राज्य सरकार के खिलाफ है देशी दलाला होकर पत्रावली दिनांक 15.05.2024 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधि. जर्जीया उप.। सरकारी पत्रावली उप.। कमर बहस अधि. प्रार्थीया ने इस न्यायालय के उतरण संख्या 29/2021 में पारित आदेश दि. 05.03.2024 को अपास्त कर उतरण पुनः रेस्टोर कराने का निवेदन किया। अधि. जर्जीया के रेस्टोर प्रार्थना पत्र से संबंधित रजि. डायरि जमा होने से ज. पत्र लीटर किया जाकर मूल उतरण को रेस्टोर किया जाया है। मूल पत्रावली नम्बर के पर दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र के तलब शुमार होकर नम्बर से उत हो एवं मूल पत्रावली के तली हो।</p>	
	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>	